



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
आयोग भवन, हरिद्वार-249404
Website : www.ukpsc.gov.in

☎01334-244143

संख्या : 108/60/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2016-17

दिनांक : 14 जून, 2019

साक्षात्कार –ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 428-430/2019 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) परीक्षा-2018' हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या: A-1/S-1/2018 दिनांक 04 सितम्बर, 2018के अन्तर्गत प्रवक्ता-अर्थशास्त्र (सामान्य शाखा) एवं प्रवक्ता-अर्थशास्त्र (महिला शाखा) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार-कार्यक्रम के अनुसार आपका साक्षात्कार आयोग कार्यालय में दिनांक 03 एवं 04 जुलाई, 2019 को निर्धारित है।

2-इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार के दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे-

(क)विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form)(प्रपत्र संख्या-02)

(ख) प्रमाणीकरण-प्रपत्र(Attestation Form)(प्रपत्र संख्या-03)

(ग)देशना-पत्रक (Index Card)(प्रपत्र संख्या-04)।

3-अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र एवंउनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :-

1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।
3. स्नातक समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि।
4. परास्नातक समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि।
5. बी0एड0 की अंकतालिकाएँ एवं उपाधि अथवा एल0टी0 डिप्लोमा।
6. यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवायोजित हो तो विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)।
7. स्थाई निवास/आरक्षण की उध्वार्धर (SC, ST, OBC) एवं क्षैतिज (UF, EXS, PH, DFF) श्रेणी के संबंध में प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
8. अधिमानी अर्हता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
9. यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो, तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) मूल रूप में।
10. ऐसे अभ्यर्थी जिनका उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2016 से पूर्व का हो, उन्हें नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित तहसील से इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा कि वे प्रश्नगत विज्ञापन

के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 तक उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के अन्तर्गत आच्छादित थे।

11. यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक हैं, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति अवश्य प्रस्तुत करें।

4- साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क ₹ 80.00 (आरक्षित वर्ग से रू. 30.00) आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

5- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लाएं।

6- यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

7-किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में औपबन्धिक (Provisional) रूप से सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8-विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

9-आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

-Sd-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।